

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलमी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	8356	821	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1487	2	--	-
3	असम	4498	55	--	-
4	बिहार	7026	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4462	--	1	4750
6	गोवा	600	302	--	-
7	गुजरात	10357	483	--	-
8	हरियाणा	2099	1211	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखण्ड	89	--	--	-
12	कर्नाटक	4267	--	--	18500
13	केरल	2166	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	925	--	-
15	महाराष्ट्र	41466	430	--	15000
16	मणिपुर	381	101	--	-
17	मेघालय	--	36	9	-
18	मिज़ोरम	466	39	--	-
19	नगालैंड	1656	33	--	-
20	उड़ीसा	13501	1465	85	20485
21	पुदुचेरी	296	--	--	807
22	पंजाब	700	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6679	--	40	14678
25	तेलंगाना	5704	1243	--	-
26	त्रिपुरा	374	9	--	-
27	उत्तराखण्ड	473	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3189	80	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9770	539	214	-
	कुल	130062	7776	665	76220

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।